FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0122 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/05/2026 18:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 07/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 07/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/05/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/05/2026 18:18:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 1 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARAYALAY JILA KHADYA SURAKSHA, AVAM AUOSHDHI NIYANTRAN, TONK

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** UMESH KUMAR SWARNKAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ROOPNARAYAN SWARNKAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	AAVA, DOONI, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	AAVA, DOONI, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SONU PANWAR		पिता:KAILASH CHAND PANWAR	1. 60,CAPTION COLONY, KAMDHENU CIRCLE,TONK,TONK,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		13,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 13,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक विषय - रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय,निवेदन है कि मैं उमेश कुमार स्वर्णकार पुत्र श्री रूपनारायण स्वर्णकार जाति सुनार उम्र 25 साल निवासी आवा तहसील दूनी जिला टोक का रहने वाला हू। मैने फार्मासिस्ट का कोर्स कर रखा है। मैने अपनी स्वंय की मेडिकल की दुकान करने के लिये मेडिकल स्टोर लाईसेन्स हेतु दिनांक 02.05.2026 को ऑन लाईन आवेदन किया था। फिर मैं कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक में जाकर श्री सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर से मिला तथा अपने लाईसेन्स के बारे में जानकारी की तो बताया कि श्री प्रहलाद कुमार मीना ए.डी.सी. (सहायक औषधी नियंत्रक) साहब आपके गॉव आकर लोकेशन देखेगे तथा खर्चे के 15000 रूपये देना पडेगा। मैने कहां कि मेरा तो जायज काम है तो कहने लगा कि बिना रूपये दिये कोई काम नही होता है। फिर मैं वहॉ से आ गया था। फिर कल दिनांक 06.05.2026 को मैने श्री सोनू कम्प्युटर ऑपरेटर को फोन किया तथा कहां कि ए.डी.सी. साहब अभी तक नही आये तो सोनू ने कहां कि ए.डी.सी. साहब को लेने आ जाओ। आपसे बैठकर बातचीत करनी है। सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण टोक व श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण टोक दोनो आपस में मिलीभगत कर मुझसे मेरे जायज काम को करने की एवज में 15000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं अपने जायज काम के बदले में रिश्वत नही देना चाहता हू मैं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण टोक व श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण टोक से कोई पुरानी रंजीश   व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी उमेश कुमार स्वर्णकार पुत्र श्री रूपनारायण स्वर्णकार जाति सुनार उम्र 25 साल निवासी आवा तहसील दूनी जिला टोक। मो.न.   कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक दिनांक 07.05.2026 समय 2 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी उमेश कुमार स्वर्णकार पुत्र श्री रूपनारायण स्वर्णकार जाति सुनार उम्र 25 साल निवासी आवा तहसील दूनी जिला टोक ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं ग्राम आवा तहसील दूनी जिला टोक का रहने वाला हू। मैने फार्मासिस्ट का कोर्स कर रखा है। मैने अपनी स्वंय की मेडिकल की दुकान करने करने के लिये मेडिकल स्टोर के लाईसेन्स हेतु दिनांक 02.05.2026 को ऑन लाईन आवेदन किया था। फिर मैं कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक में जाकर श्री सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर से मिला तथा अपने लाईसेन्स के बारे में जानकारी की तो बताया कि श्री प्रहलाद कुमार मीना ए.डी.सी. (सहायक औषधी नियंत्रक) साहब आपके गॉव आकर लोकेशन देखेगे तथा खर्चे के 15000 रूपये देना पडेगा। मैने कहां कि मेरा तो जायज काम है तो कहने लगा कि बिना रूपये दिये कोई काम नही होता है। फिर मैं वहॉ से आ गया था। फिर कल दिनांक 06.05.2026 को मैने श्री सोनू कम्प्युटर ऑपरेटर को फोन किया तथा कहां कि ए.डी.सी. साहब अभी तक नही आये तो सोनू ने कहां कि ए.डी.सी. साहब को लेने आ जाओ। आपसे बैठकर बातचीत करनी है। सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण टोक व श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण टोक दोनो आपस में मिलीभगत कर मुझसे मेरे जायज काम को करने की एवज में 15000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं अपने जायज काम के बदले में रिश्वत नही देना चाहता हू मैं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवना चाहता हू। मेरी सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण टोक व श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण टोक से कोई पुरानी रंजीश व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी श्री उमेश कुमार को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट अपने द्वारा हस्तलिखित करना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड व अपनी कार्य से सम्बन्धित पत्रावली की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होता है। समय 2.40 पी0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड

डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईस की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज आरोपी सोनू पंवार कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक से मिलकर अपने मेडिकल स्टोर का लाईसेन्स जारी करने तथा रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करूगॉ। अतः कानि0 राजकुमार 160 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कानि0 राजकुमार 160 को सुपुर्द कर समय 2.59 पी.एम पर वायस रिकार्डर को चालू करवाकर परिवादी उमेश कुमार को सुपुर्द करवाकर परिवादी एवं राजकुमार कानि. 160 को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक रवाना किया जाता है। समय 3.45 पी.एम पर राजकुमार कानि मय परिवादी श्री उमेश कुमार के कार्यालय मे उपस्थित आया। कानि ने सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी श्री उमेश कुमार रवाना होकर कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक के बाहर पहुचे। परिवादी को आरोपी सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक के लिये रवाना कर मैं कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी वापस आया और मुझे चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बन्द किया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी वार्ता सोनू कम्प्युटर ऑपरेटर से हो गई है उन्होने मेरे मेडिकल स्टोर का लाईसेन्स जारी करने की एवज में स्वंय के लिये व श्री प्रहलाद कुमार मीना के लिये 15000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा 15000 रूपये केलकुलेटर में लिखकर मुझे दिखाये। फिर मेरे कम करने का निवेदन करने पर सोनू ऑपरेटर ने केलकुलेटर में 13000 रूपये लिखकर रिश्वत राशि दिखायी तथा रिश्वत लेना तय हुआ। आज ही रिश्वत राशि देने हेतु ईशारे में कहां। फिर मै व परिवादी कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर आये है। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने कानि. के कथनो की ताईद की। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो कानि. व परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। समय 3.55 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 को रवाना किया गया। समय 4.10 पी.एम. पर श्री मोहम्मद जुनैद कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक से मय दो स्वतन्त्र गवाह 1. श्री आलोक कुमार यादव पुत्र श्री लाल बहादुर यादव जाति यादव उम्र 31 साल निवासी पुरेबेनीदत्तशुक्ल पोस्ट कोटिया तहसील व जिला सुल्तानपुर (उत्तरप्रदेश) हाल सिविल लाईन टोक हाल कनिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक मोबाईल नम्बर एवं श्री रामधन गाडोदिया पुत्र श्री शिवजीलाल गाडोदिया उम्र 35 साल निवासी श्रीराम नगर, मोरला पोस्ट बासेडा तहसील टोडारायसिंह पुलिस थाना टोडारायसिंह हाल वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग टोक मोबाईल नम्बर के उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री उमेश कुमार से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.05.2026 के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर के अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 4.20 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुदा परिवादी उमेश कुमार स्वर्णकार पुत्र श्री रूपनारायण स्वर्णकार जाति सुनार उम्र 25 साल निवासी आवा तहसील दूनी जिला टोक को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 26 नोट कुल राशि 13000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् उपरोक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी उमेश कुमार के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री आलोक कुमार से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पावडर लगी हुयी राशि परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब में श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से रखवायी गयी। तत्पश्चात् एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को अपने हाथों

से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों व थैली पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीं ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पेजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा परिवादी को अपने मोबाईल नम्बर से राजकुमार कानि. के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/वार्ता करने तथा अपने सिर पर हाथ घुमाकर रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द पेशकशी पृथक से मुर्तिब की गई। समय 4.55 पी. एम. पर राजकुमार कानि 160 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर परिवादी व राजकुमार कानि. 160 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आसिफ खान सहायक उपनिरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, जलसिंह कानि. 248 मय स्वतंत्र गवाहान श्री रामधन गाडोदिया, आलोक कुमार, तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड को सरकारी कैमेरे में डालकर श्री अजित सिंह कानि. 56 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने से विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करने की हिदायत की गई मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक के लिये रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 को छोडा गया। समय 05.07 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक से पहले आम रोड पर रूका तथा राजकुमार कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कराकर लेन देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को सिपूर्द कर पैदल-पैदल कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक पर भेजा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक के पास सुरक्षित स्थान पर परिवादी के ईशारे के इन्तजार मे मुकिम रहे। समय 6.45 पी.एम पर परिवादी उमेश कुमार स्वर्णकार पुत्र श्री रूपनारायण स्वर्णकार जाति सुनार उम्र 25 साल निवासी आवा तहसील दूनी जिला टोक ने समय 05.15 पी.एम. पर अपने मोबाईल नम्बर से राजकुमार कानि. के मोबाईल नम्बर पर अपने मोबाईल से कॉल कर रिश्वत लेन-देन का ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, आसिंफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, राजकुमार कानि. 160, जलसिंह कानि. 248, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56, मय सरकारी बोलेरो मय मय चालक गणेश सिंह 375 मय प्राईवेट मोटरसाईकिल मय ट्रैप बाक्स के परिवादी के पास कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक पहुचा। परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू हालत मे प्रस्तुत किया जिसको लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बंद कर अपने पास रखा, जहॉं पर परिवादी के पास एक व्यक्ति खडा हुआ था। जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर कहा कि यह सोनू जी कम्प्यूटर ऑपरेटर है जो कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक में कार्य करते है। आज मैं इनके कार्यालय में जाकर इनसे मिला। तो यह मुझे कार्यालय की गैलेरी में लेकर आ गये। मैने अपने मेडिकल स्टोर का लाईसेन्स जारी करने हेतु बातचीत की। फिर सोनू ने रिश्वत राशि देने हेतु हाथ से ईशारा किया। जिस पर मैने इनके कहेनुसार/ ईशारानुसार रिश्वत राशि 13000 रूपये इनको हाथ में दी। फिर सोनू ऑपरेटर ने रिश्वत राशि अपने हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में रख ली। फिर यह रिश्वत राशि लेकर अपने कार्यालय रूम में चले गये। फिर मैने राजकुमार जी को उनके मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत राशि लेन-देन का ईशारा किया तथा मैं भी पानी पीने के बहाने इनके कार्यालय में आ गया था। सोनू ने आप लोगो को आता देख अपनी जेब से रिश्वत राशि निकालकर अपने कार्यालय रूम के गेट के पास फर्श पर पटक दी। जो गेट के किवाड के पास फर्श पर पडी हुई है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम सोनू पंवार पुत्र श्री कैलाश चंद पंवार जाति सेन उम्र 36 साल निवासी मकान नम्बर 60 कैप्टन कॉलोनी, कामधेनू सर्किल टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक होना बताया तथा वर्ष 2022 से लगातार इस कार्यालय में कार्य करना बताया तथा सहायक औषधी नियंत्रक के बताये अनुसार कार्य करने हेतु कहां। जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली न ही मैने परिवादी से कोई रिश्वत राशि देने हेतु कहॉं है न ही मेरे पास कोई रिश्वत राशि है। इस पर परिवादी ने स्वतः ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने फार्मस्टिट का कोर्स कर रखा है। मैने अपनी स्वंय की मेडिकल की दुकान करने

के लिये लाईसेन्स हेतु दिनांक 02.05.2026 को ऑन लाईन आवेदन किया था। फिर मैं इस कार्यालय में आकर सोनू जी कम्प्यूटर ऑपरेटर से मिला तथा अपने लाईसेन्स के बारे में जानकारी की तो बताया कि श्री प्रहलाद कुमार मीना ए.डी.सी. (सहायक औषधी नियंत्रक) साहब आपके गॉव आकर लोकेशन देखेगे तथा खर्चे के 15000 रूपये देना पडेगा। मैने कहां कि मेरा तो जायज काम है तो कहने लगा कि बिना रूपये दिये कोई काम नही होता है। फिर मैं वहा से आ गया था। फिर कल दिनांक 06.05.2026 को मैने सोनू कम्प्युटर ऑपरेटर को फोन किया तथा कहां कि ए.डी.सी. साहब अभी तक नही आये है तो सोनू ने कहां कि ए.डी.सी. साहब को लेने आ जाओ। आपसे बैठकर बातचीत करनी है। आज दिनांक 07.05.2026 को आपके कार्यालय पर शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद मैं सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर से इनके कार्यालय में आकर मिला तो इन्होने मुझसे मेरा मेडिकल स्टोर का लाईसेन्स जारी करने की एवज में 15000 रूपये रिश्वत राशि स्वंय व श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रण के लिये केलकुलेटर पर लिखकर मांग की तथा मेरे कम करने का निवेदन करने पर केलकुलेटर पर लिखकर दिखाने पर 13000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय किया तथा रिश्वत राशि आज ही देने हेतु कहां। इनकी मांग के अनुसरण में आज मैने इनको 13000 रूपये रिश्वत राशि कार्यालय में इनके द्वारा किये गये ईशारानुसार इसके हाथो में दी थी जिन्होने रिश्वत राशि हाथो से गिनकर अपनी पेन्ट की बायी जेब में रखी थी तथा अपने कार्यालय कक्ष में चले गये। सोनू ने ए.सी.बी. टीम को देखकर अपनी पेन्ट की बायी जेब से रिश्वत राशि निकालकर कार्यालय कक्ष के गेट के पास फर्श पर फेंक दी। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सोनू पंवार को पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि साहब मुझसे गलती हो गई माफी चाहता हू। मुझे बचा लो। आरोपी से श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक टोक के लिये परिवादी से रिश्वत राशि लेने हेतु पूछा तो चुप हो गया तथा कुछ नही बोला। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक से मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी सोनू पंवार के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी सोनू पंवार के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय कक्ष के गेट के पास फर्श पर पडी 500-500 रूपये नोट पडे हुये दिखे जिनको स्वतंत्र गवाह श्री रामधन से उठवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान से नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 26 नोट कुल 13000/-रूपये मिले। नोटो के नम्बरो का गवाहान से मिलान पूर्व की मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। रिश्वति राशि को गवाह श्री रामधन के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक से मोहम्मद जुनैद हैड कानि. से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। कार्यालय कक्ष का फर्श जहाँ से रिश्वति राशि बरामद हुयी। उक्त स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क F-1, F-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। रूई के पोहे को सुखाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क- ''F'' अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री सोनू पंवार के वक्त घटना रिश्वति राशि अपनी पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब में रखी गई थी। आरोपी की पहनी हुयी पेन्ट को ससम्मान उतरवायी जाकर एक पजामें की व्यवस्था कर पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल में आरोपी की पेन्ट की बायी जेब को उलटकर से धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हुआ। जिसे हाजरिन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेन्ट की बायी जेब जिसमे से रिश्वति राशि बरामद हुई को सूखवा कर पेन्ट को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क ''पी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक ने गवाह श्री रामधन के पास रखवाई गई रिश्वति राशि 13000/-रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वति राशि को कागज की चिट लगाकर सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक में भीड एकत्रित हो जाने से सुरक्षा की दृष्टि से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मयं डिटेनशुदा आरोपी सोनू पंवार मय सरकारी वाहन मय चालक मय प्राईवेट मोटरसाईकिल के कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक से रवाना होकर ए.सी.बी. चौकी टोक पहुचा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री उमेश कुमार स्वर्णकार द्वारा पूर्व मे रिश्वति राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री उमेश कुमार स्वर्णकार व आरोपी सोनू पंवार के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं सीडियॉ अकब से तैयार करवायी जायेगी। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी ने स्वंय की मेडिकल की दुकान करने हेतु मेडिकल स्टोर के लाईसेन्स हेतु दिनांक 02.05.2026 को ऑन लाईन आवेदन किया था। फिर परिवादी कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक में जाकर श्री सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर से मिला तथा अपने लाईसेन्स के बारे में जानकारी की तो बताया कि श्री प्रहलाद कुमार मीना ए.डी.सी. (सहायक औषधी नियंत्रक) साहब आपके गॉव आकर लोकेशन देखेगे तथा खर्चे के 15000 रूपये देना पडेगा। मैने कहां कि मेरा तो जायज काम है तो कहने लगा कि बिना रूपये दिये कोई काम नही होता है। फिर मैं वहा से आ गया था। फिर कल दिनांक 06.05.2026 को मैने श्री सोनू कम्प्युटर ऑपरेटर को फोन किया तथा कहां कि ए.डी.सी. साहब अभी तक नही आये तो सोनू ने कहां कि ए.डी.सी. साहब को लेने आ जाओ। आपसे बैठकर बातचीत करनी है। जिस पर ब्यूरो द्वारा आरोपी से आज दिनांक 07.05.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी ने परिवादी का मेडिकल स्टोर का लाईसेन्स जारी करने की एवज में खर्चे के 15000 रूपये रिश्वत राशि केलकुलेटर पर लिखकर स्वंय व श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक के लिये मांगी तथा परिवादी के कम करने का निवेदन करने पर 13000 रूपये रिश्वत राशि केलकुलेटर पर लिखकर लेना तय कर परिवादी को रिश्वत राशि आज ही देने हेतु कहां। आरोपी ने अपनी मांग के अनुसरण में परिवादी के आज कार्यालय में आने पर अपने कक्ष से बाहर आकर परिवादी से 13000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथो में लेकर रिश्वत राशि गिनकर अपनी पेन्ट की बायी जेब में रखकर कार्यालय कक्ष में वापस चला गया तथा आरोपी ने ए.सी.बी. टीम को देखकर अपनी पेन्ट की बायी जेब से रिश्वत राशि निकालकर कार्यालय कक्ष के गेट के पास फर्श पर फेंक दी। जहॉ से रिश्वत राशि बरामद हुयी। आरोपी के दोनो हाथो को बारी-बारी से तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया। कार्यालय कक्ष का फर्श जहॉ से रिश्वत राशि बरामद हुयी। उक्त स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया । आरोपी की पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गहरा गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये तथा श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी से रिश्वत राशि अपने हाथो में ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब में रखी तथा ए.सी.बी. टीम को देखकर रिश्वत राशि कार्यालय कक्ष के गेट के पास फर्श पर फैंक दी। जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित करना पाया जाता है। आरोपी सोनू पंवार पुत्र श्री कैलाश चंद पंवार जाति सेन उम्र 36 साल निवासी मकान नम्बर 60 केप्टन कॉलोनी, कामधेनू सर्किल टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाता है। उक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिर्काडिंग कार्यालय के सरकारी कैमरे में मैमोरी कार्ड डालकर अजित सिंह कानि. 56 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था रही। उक्त फर्द मेरे निर्देशन में कानि. 256 श्री ईश्वर प्रकाश ए.सी.बी. टोक से कार्यालय कम्प्यूटर से तैयार करवायी गयी। उक्त फर्द समय 6.45 पी.एम. पर प्रारम्भ कर समय 7.40 पी.एम. पर समाप्त की गई। समय 7.45 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी सोनू पंवार पुत्र श्री कैलाश चंद पंवार जाति सेन उम्र 36 साल निवासी मकान नम्बर 60 केप्टन कॉलोनी, कामधेनू सर्किल टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक को जरिए फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। समय 8.25 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह एसीबी स्टाफ आसिफ खान स.उ.नि., मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, अजित सिंह कानि. 56 मय स्वतंत्र गवाह मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के गिरफ्तारशुदा आरोपी सोनू पंवार पुत्र श्री कैलाश चंद पंवार जाति सेन उम्र 36 साल निवासी मकान नम्बर 60 केप्टन कॉलोनी, कामधेनू सर्किल टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक के रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु कैप्टन कॉलोनी, कामधेनु सर्किल टोक के लिये रवाना हुआ। समय 8.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान फिकराबाला का रवानाशुदा आरोपी के निवास स्थान पर पहुचा। जहां पर सुरक्षा इमदाद में पुलिस थाना पुरानी टोक के ए.एस.आई. श्री रामगोपाल मय दुर्गा महिला कानि. व अन्य कानिगण के उपस्थित आये। महिला कानि. व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के आरोपी के कमरे की खाना तलाशी

ली तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की अजित सिंह कानि. से विडियोग्राफी करायी गयी। समय 9.50 पी.एम. पर बाद खाना तलाशी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी के ए.सी.बी. चौकी टोक के लिए रवाना हुआ तथा रवाना होने से पूर्व इमदाद/सुरक्षार्थ आये जाप्ते को जाय तैनाती के लिये रवाना किया। समय 10.05 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान फिकराबाला का रवानाशुदा ए.सी.बी. चौकी टोक आया। समय 10.10 पी.एम. पर दिनांक 07.05.2026 को परिवादी श्री उमेश कुमार व आरोपी सोनू पंवार के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की तीन सीडियो में तैयार करवायी गयी। दो सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1 (न्यायालय हेतु) A-2 (आरोपी हेतु) अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। समय 11.25 पी.एम. पर दिनांक 07.05.2026 को रूबरू परिवादी श्री उमेश कुमार व आरोपी सोनू पंवार के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता को तीन सीडियो में तैयार करवायी गयी। दो सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क B-1 (न्यायालय हेतु) B-2 (आरोपी हेतु) अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। इसी दौराने आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोक व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी सोनू पंवार का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। दिनांक 08.05.2026 समय 00.40 पी.एम. पर आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह के आरोपी सोनू पंवार का स्वास्थय परीक्षण करवाकर आरोपी को कोतवाली टोक में सुरक्षार्थ जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 00.50 ए.एम. पर दिनांक 07.05.2026 को परिवादी श्री उमेश कुमार व आरोपी सोनू पंवार के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्डस 16 G.B. Rajdhani कम्पनी के नंग 2 को अलग-अलग कंवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क M अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 1.20 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री अजित सिंह कानि. 56 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री अजित सिंह कानि. 56 ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया। श्री अजित सिंह कानि. 56 की मदद से मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 3 पेनड्राईव 64-64 जी.बी. KIngston कम्पनी के तैयार करवाये गये। दो पेनड्राईव को पृथक-पृथक कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क T-1 (न्यायालय हेतु) T-2 (आरोपी हेतु) अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। समय 2.35 ए.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर विडियोग्राफी करवायी गयी थी। विडियोग्राफी से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्डस 16 G.B. KDM कम्पनी के नंग 1 को कंवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क M-1 अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 3 ए.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 13000 रूपये मार्क N सिल्ड चिटशुदा धोवन की शिशियां मार्क RH1 RH2 LH1 LH2 F-1, F-2, P-1, P-2 शील्डशुदा पैकिट मार्क- F शील्डशुदा पैकिट मार्क- P सिल्डचिट शुदा, 04 सीडियॉ सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में सिल्डचिट मार्क A-1, A-2, , B-1, B-2, तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा 2 मेमोरी कार्डस मार्क-M दो पेनड्राईव को पृथक-पृथक कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क T-1, T-2 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क- M-1 इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री आसिफ खान स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 3.30 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमूना व नाशानी नमूना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 4 ए.एम. पर परिवादी श्री उमेश कुमार व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री रामधन गाडोदिया व आलोक कुमार को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। समय 04.15 ए.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का सीडियो में तैयार करने के संबध मे धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 4.40 ए.एम. पर श्री अजित सिंह कानि. 56 ने दौराने ट्रेप

कार्यवाही बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई विडियोग्राफी का मेमोरी कार्ड तैयार करने तथा मैमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 5 ए.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, सीडियॉ एवं मौके की विडियोगाफ्री के मेमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी ने स्वंय की मेडिकल की दुकान करने हेतु मेडिकल स्टोर के लाईसेन्स हेतु दिनांक 02.05.2026 को ऑन लाईन आवेदन किया था। फिर परिवादी कार्यालय कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक में जाकर श्री सोनू कम्प्यूटर ऑपरेटर से मिला तथा अपने लाईसेन्स के बारे में जानकारी की तो बताया कि श्री प्रहलाद कुमार मीना ए.डी.सी. (सहायक औषधी नियंत्रक) साहब आपके गॉव आकर लोकेशन देखेगे तथा खर्चे के 15000 रूपये देना पडेगा। मैने कहां कि मेरा तो जायज काम है तो कहने लगा कि बिना रूपये दिये कोई काम नही होता है। फिर मैं वहा से आ गया था। फिर कल दिनांक 06.05.2026 को मैने श्री सोनू कम्प्युटर ऑपरेटर को फोन किया तथा कहां कि ए.डी.सी. साहब अभी तक नही आये तो सोनू ने कहां कि ए.डी.सी. साहब को लेने आ जाओ। आपसे बैठकर बातचीत करनी है। जिस पर ब्यूरो द्वारा आरोपी से आज दिनांक 07.05.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी ने परिवादी का मेडिकल स्टोर का लाईसेन्स जारी करने की एवज में खर्चे के 15000 रूपये रिश्वत राशि केलकुलेटर पर लिखकर स्वंय व श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक के लिये मांगी तथा परिवादी के निवेदन करने पर 13000 रूपये रिश्वत राशि केलकुलेटर पर लिखकर लेना तय कर परिवादी को रिश्वत राशि आज ही देने हेतु कहां। आरोपी ने अपनी मांग के अनुसरण में आज कार्यालय में आने पर अपने कक्ष से बाहर आकर परिवादी से 13000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथो में लेकर रिश्वत राशि गिनकर अपनी पेन्ट की बायी जेब में रखकर कार्यालय कक्ष में वापस चला गया तथा आरोपी ने ए.सी.बी. टीम को देखकर अपनी पेन्ट की बायी जेब से रिश्वत राशि निकालकर कार्यालय कक्ष के गेट के पास फर्श पर फेंक दी। जहॉ से रिश्वत राशि बरामद हुयी। आरोपी के दोनो हाथो को बारी-बारी से तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया। कार्यालय कक्ष का फर्श जहॉ से रिश्वत राशि बरामद हुयी। उक्त स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपी की पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गहरा गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये तथा श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी से रिश्वत राशि अपने हाथो में ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब में रखी तथा ए.सी.बी. टीम को देखकर रिश्वत राशि कार्यालय कक्ष के गेट के पास फर्श पर फैंक दी। जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया तथा संदिग्ध श्री प्रहलाद कुमार मीना सहायक औषधी नियंत्रक टोक की प्रकरण में सलिप्ता के सम्बन्ध में गहन अनुसंधान किया जावेगा। अतः उक्त आरोपी सोनू पंवार पुत्र श्री कैलाश चंद पंवार जाति सेन उम्र 36 साल निवासी मकान नम्बर 60 केप्टन कॉलोनी, कामधेनू सर्किल टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (झाबर मल)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री झाबर मल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सोनू पंवार पुत्र श्री कैलाश चंद पंवार जाति सेन उम्र 36 साल निवासी मकान नम्बर 60 कैप्टन कॉलोनी, कामधेनू सर्किल टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, टोक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारसमल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 778 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 770-73 दिनांक 09.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टोंक 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** parasmal panwar **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/05/2026 18:23:49

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)